संख्या-2/2025/49/अनट-म-25/002-17-1002-099-5-2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2025

विषय:- अनुदान सं0-17 लेखाशीर्षक- 2405,मछली पालन के अन्तर्गत 190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता,03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 83.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 45/ ले0शाखा/बजट/ 2024-25,दिनांक 03 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक-2405मछली पालन 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों कोसहायता,03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 83.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 83.33 लाख (रू0 तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना के दिशा-निर्देशों व निर्माण सम्बंधी कार्यों हेतु समय-समय पर संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
(4) नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेंज चार्ज दिये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारी का होगा। वित्तीय व निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथास्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारीकी स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानीआवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्तकर ली जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
(7) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.06.2024 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,33,000 (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 017 **लेखा शीर्षक** 2405001900300 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-286-X-2024-25, दिनांक 9 जनवरी, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 10-01-2025 19:19:31

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2 /2025/ 49 /002-17-1002-099-5-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।